राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ 6( )खावि/कम्प्यूटर/ई–मित्र/2018–19 दिनांक 6 04.2022

जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान ।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल प्रारम्भ करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्र्तगत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022–2023 " खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत गेंहूँ प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित है। ऐसे परिवारों को NFSA (National Food Securtiy Act) पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्व परिवारों को शामिल करते हुए, शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग 10 लाख नये परिवार जोड़ने की मै, घोषणा करता हूँ ।"

उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विभाग द्वारा NFSA योजना अन्र्तगत पात्र व्यक्तियों के नाम जोडने हेतु पोर्टल खोलने के आदेश जारी कर दिये गये है ।

यह उल्लेखनीय है कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्र्तगत प्रदेश के नागरिकों को अन्य राज्यों में गेंहूं मिल सके इस हेतु पात्र आवेदक की आधार सीडिंग आवश्यक है तथा बजट घोषणा 2021–22 की क्रियान्विति के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार के माध्यम से होने की अनिवार्यता होने से जनआधार सीडिंग आवश्यक होगी । अतः इस हेतु आप अपने जिले के सक्षम अपीलीय प्राधिकारी – उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित करें कि ई–मित्र के माध्यम से प्राप्त नवीन आवेदन पत्रों को जन आधार तथा आधार सीडिंग उपरान्त ही निस्तारण करने की प्रक्रिया की जावे ।

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने का कार्य दिनांक 18.05.2020 को ई–मित्र के माध्यम आवेदन की प्रक्रिया आगामी आदेशों तक बन्द किया गया था। तदोपरान्त दिनांक 18.05.2020 तक के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है। अतः उक्त लम्बित प्रार्थना पत्रों में से स्वीकृत योग्य प्रार्थना पत्रों को भी जन आधार सीडिंग के पश्चात ही निस्तारण किया जावे ।

नवीन आवेदन पत्र को स्वीकार करने से पूर्व विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में बताये गये निष्कासन श्रेणी के मापदण्डों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये अपीलों का निस्तारण किया जावे । किसी भी हालत में अपात्र व्यक्ति/निष्कासन श्रेणी में आने वाले सदस्यों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नहीं हो ।

(नवीन जैन)
शासन सचिव (खाद्य)

क्रमांकः एफ 6( )खावि/कम्प्यूटर/ई–मित्र/2018–19 दिनांक 6 04.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
15. जिला रसद अधिकारी, समस्त जिले।
16. उप/सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
17. एस.ए./एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
18. संयुक्त निदेशक (ई–पीडीएस/ई–पॉस), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
19. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, राजस्थान।
20. उपखण्ड/विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
21. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
22. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त